न्यायालय:- प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बालोद (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी:- विजय कुमार मिंज)

क्लेम केस नं.:—1 / 17 संस्थित दिनांक :—2—1—2017

धर्मेन्द्र चंद्राकर आ. कमलनारायण चंद्राकर, उम्र–28 वर्ष, निवासी–औराभाठा, तहसील व जिला–बालोद(छ.ग.)

क्लेम केस नं.:—2 / 17 संस्थित दिनांक :—2—1—2017

सुरेश कुमार चंद्राकर आ. केशवराम चंद्राकर, उम्र—34 वर्ष, निवासी—कुर्मीपारा, बालोद, तहसील व जिला—बालोद(छ.ग.)

क्लेम केस नं:-3/17 संस्थित दिनांक :-2-1-2017

सुमन साहू आ. राधेश्याम साहू, उम्र—27 वर्ष, निवासी— बालोदगहन, तहसील—गुरूर, जिला—बालोद(छ.ग.), हाल मुकाम— संजय नगर, बालोद, जिला—बालोद(छ.ग.)

--- आवेदकगण.

/ / विरूध्द / /

- जितेन्द्र कुमार कोठारी आ. कलीराम कोठारी, उम्र–35 वर्ष, सा.–जुंगेरा, तहसील व जिला बालोद (छ.ग.),
- अनुराग दुबे आ. लक्ष्मीनारायण दुबे, उम्र–28 वर्ष, निवासी– पांडेपारा बालोद, तह. व जिला–बालोद (छ.ग.),
- द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक, मंडल कार्यालय, परमानंद बिल्डिंग, डॉ. राजेन्द्र पार्क के पास, दुर्ग.

----<u>अनावेदकगण.</u>

<u>ः अधिनिर्णय ःः</u> (दिनांक 31–7–2018 को पारित)

- 1. धारा 166 मोटर यान अधिनियम के तहत प्रस्तुत उपरोक्त दावा प्रकरणों में आवेदकगण ने दिनांक 3—7—2015 को वाहन टोयोटा इनोवा कार क्रमांक सी.जी.07 एम. —0850 की दुर्घटना में स्वयं को आई गंभीर उपहित बाबत् प्रतिकर राशि की मांग की है, जिसमें आगे उक्त वाहन को दोषी वाहन से संबोधित किया जा रहा है ।
- 2. यह स्वीकृत तथ्य है कि अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 उक्त दोषी वाहन के क्रमशः पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं ।
- 3. दावा प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 3—7—2015 को आवेदकगण मोटरसायिकल क्रमांक— सी.जी.24/1320 में तहसील कार्यालय डौंडीलोहारा से काम कर वापस आ रहे थे कि अनावेदक क्रमांक —1 जितेन्द्र कुमार कोठारी ने दोषी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये विपरीत दिशा से गलत साइड में जाकर उन्हें ठोकर मार दिया, जिससे आवेदकगण को गंभीर उपहित कारित हुई, उनका ईलाज चला । इस दुष्ट टिना के बाबत् थाना बालोद में अपराध क्रमांक 294/15 कायम किया गया ।
- 4. दावा प्रकरण कमांक 1/17 का आवेदन आगे संक्षेप में इस आशय का है कि 28 वर्षीय आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर के दाहिने पैर की घुटने की हड्डी टूटकर अलग हो गई, उसे प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल, बालोद में भर्ती किया गया, जहां से उसे दुर्ग गायत्री अस्पताल रिफर किया गया, जहां से प्रारंभिक ईलाज के पश्चात् उसे गायत्री अस्पताल, रायपुर रिफर किया गया, जहां उसके घुटने का ऑपरेशन किया गया, उसके दाहिने पैर में स्थायी अपंगता आ गई है, वह इस दौरान लगभग 23 दिन अस्पताल में भर्ती था, छुट्टी होने के पश्चात् प्रत्येक सप्ताह औराभाठा से रायपुर आना—जाना करता था, 6 माह पश्चात् उसके पैर का दूसरा ऑपरेशन किया गया, उक्त दौरान वह 12 दिन तक भर्ती रहा, इस दौरान वह हर 15 दिन में ईलाज हेतु रायपुर आना—जाना करता था, उसके घुटने में लगे प्लेट को निकालने हेतु तीसरा ऑपरेशन भी किया गया, वह लगभग डेढ़ वर्ष तक ईलाज एवं ऑपरेशन कराया है, उसका पैर नहीं मुड़ता, उसे सीढ़ी चढ़ने तथा अन्य दैनिक कार्य में परेशान होती है और वह अपना मजदूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, आवेदक

हरिओम वेल्डिंग वर्क्स के अधीनस्थ टिन शेड फिटिंग एवं वेल्डिंग का कार्य करता था, जिससे 300 / — रूपये प्रतिदिन मजदूरी मिलता था, आवेदक की आमदनी पर उसकी पत्नी, बच्चे एवं माता—पिता आश्रित थे, वह 45 प्रतिशत स्थायी रूप से अपंग हो गया है । अतः विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये 20,75,000 / — रूपये प्रतिकर राशि मय वादव्यय और ब्याज के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

- 5. दावा प्रकरण क्रमांक 2/17 का आवेदन आगे संक्षेप में इस आशय का है कि 34 वर्षीय आवेदक सुरेश कुमार चंद्राकर के दाहिने पैर की घुटने के नीचे की हड्डी टूटकर अलग हो गई, उसे प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल, बालोद में भर्ती किया गया, उसका ईलाज रामेश्वर नर्सिंग होम, धमतरी में किया गया, उसके दाहिने पैर में स्थायी अपंगता आ गई है, वह 15 दिन तक भर्ती रहा, उसके पैर में ऑपरेशन कर रॉड लगाया गया है, 7 माह पश्चात् उसके पैर का पुनः ऑपरेशन हुआ है, उसका पैर नहीं मुड़ता, उसे सीढ़ी चढ़ने तथा अन्य दैनिक कार्य में परेशान होती है और वह अपना मजदूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, वह सदर बालोद में घूम—घूमकर ख्वयं के ठेला में फल्ली बेचने का कार्य कर 200/— रूपये प्रतिदिन आमदनी प्राप्त करता था, जिससे ख्वयं का एवं अपने परिवार का भरण—पोषण करता था । अतः विभिन्न मदों में क्षति की गणना करते हुये कुल 7,75,000/— रूपये प्रतिकर राशि मय वादव्यय और ब्याज के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।
- 6. दावा प्रकरण क्रमांक 3/17 का आवेदन आगे संक्षेप में इस आशय का है कि 27 वर्षीय आवेदक सुमन साहू के दाहिने पैर की घुटने की नीचे की हड्डी टूटकर अलग हो गई, उसे प्राथमिक उपचार हेतु शासकीय अस्पताल, बालोद में भर्ती किया गया, जहां से उसे दुर्ग गायत्री अस्पताल रिफर किया गया, जहां से प्रारंभिक ईलाज के पश्चात् उसे गायत्री अस्पताल, रायपुर रिफर किया गया, जहां उसके घुटने का ऑपरेशन किया गया, उसके दाहिने पैर में स्थायी अपंगता आ गई है, वह इस दौरान लगभग 13 दिन अस्पताल में भर्ती था, छुट्टी होने के पश्चात् प्रत्येक सप्ताह संजय नगर, बालोद से रायपुर

आना—जाना करता था, 4 माह पश्चात् उसके पैर का दूसरा ऑपरेशन किया गया, उक्त दौरान वह 2 दिन तक भर्ती रहा, इस दौरान वह हर 15 दिन में ईलाज हेतु रायपुर आना—जाना करता था, वह लगभग एक वर्ष तक ईलाज एवं ऑपरेशन कराया है, उसका पैर नहीं मुड़ता, उसे सीढ़ी चढ़ने तथा अन्य दैनिक कार्य में परेशान होती है और वह अपना मजदूरी कार्य भी नहीं कर पा रहा है, आवेदक हरिओम वेल्डिंग वर्क्स के अधीनस्थ टिन शेड फिटिंग एवं वेल्डिंग का कार्य करता था, जिससे 300/— रूपये प्रतिदिन मजदूरी मिलता था, आवेदक स्थायी रूप से अपंग हो गया है । अतः विभिन्न मदों में क्षतिपूर्ति की गणना करते हुये 10,75,000/— रूपये प्रतिकर राशि मय वादव्यय और ब्याज के साथ दिलाये जाने का निवेदन किया गया है ।

- 7. अनावेदक क0—1 व 2 ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुए संक्षेप में इस आशय का जवाबदावा पेश किये हैं कि दोषी वाहन अनावेदक कमांक—2 के निजी उपयोग का वाहन है, जिसके चालन हेतु कोई चालक नहीं रखा गया है, अनावेदक कमांक—1 उक्त वाहन का चालक नहीं है, न ही घटना समय पर वह उक्त वाहन का चालन किया है, दोषी वाहन से दुर्घटना होने के संबंध में थाना बालोद में कोई नामजद रिपोर्ट नहीं है, उक्त घटना के संबंध में थाना बालोद में लाल रंग की लंबी गाड़ी तवेरा के विरुद्ध अपराध पंजीबध्द है, क्षतियों का आंकलन बढ़ा—चढ़ाकर किया गया है, मोटरसायिकल में 3 सवारी बैठकर चालन कर रहे थे, जो आपराधिक श्रेणी का कृत्य है, अनावेदक क0—3 के पास वाहन बीमित होने के कारण अनावेदक क.—3 बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी है । अतः उनके विरुद्ध दावा आवेदन खारिज किया जाये ।
- 8. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी ने अपने विपरीत दावा आवेदन के अभिवचनों को इंकार करते हुये इस आशय का जवाबदावा पेश किया है कि क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन बढ़ा—चढ़ाकर किया गया है, मोटरसायिकल में 3 लोग सवार थे, जो बीमा शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन है, आवेदक की भी योगदायी उपेक्षा प्रमाणित है, मोटरसायिकल चालक सुरेश चंद्राकर के पास वैध व प्रभावशाली लायसेंस न होने की स्थिति

में बीमा शर्त का उल्लंघन है । इसलिये वे किसी प्रतिकर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । अत : उनके विरुद्ध दावा आवेदन खारिज किया जाये।

9. मामले में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार वादप्रश्न की रचना की गई है, जिन पर निष्कर्ष विवेचना पश्चात् दिये जा रहे हैं :—

:--

क0	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.		.
2.	आवेदक धर्मेन्द्र 28 वर्षीय तथा आवेदक	
3.	क्या दुर्घटना दिनांक 3—7—2015 को वाहन टोयोटा इनोवा कार क्रमांक सी.जी.07एम. —0850 का चालन अनावेदक क्रमांक—1 व्दारा नहीं किया जा रहा था ?	
4.	क्या दुर्घटना दिनांक 3—7—2015 को वाहन टोयोटा इनोवा कार क्रमांक सी.जी.07एम. —0850 अनावेदक क्रमांक—3 के पास बीमित थी ?	

5.	क्या दुर्घटना दिनांक 3—7—2015 को वाहन टोयोटा इनोवा कार क्रमांक सी.जी.07एम. —0850का चालन बीमा शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा था ?	प्रमाणित नहीं ।
6.	क्या प्रकरण में योगदायी उपेक्षा का सिध्दांत लागू होता है, यदि हां तो उसका प्रभाव ?	
7.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं, यदि हां तो किससे व कितनी ?	कंडिका— 23, 24, 25 के अनुसार निराकृत ।
8.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका 27 के अनुसार निराकृत ।

निष्कर्ष के आधार

वादप्रश्न कमांक-1, 3, 6 :-(सभी दावा प्रकरणों के लिये)

- 10. उपरोक्त तीनों मामलों में आवेदक पक्ष से उक्त आवेदकगण का तथा क्लेम प्रकरण क्रमांक 1/17 में विकलांगता को प्रमाणित करने वास्ते आ.सा.क.—2 डॉ. आर.आर. मंडलेश का बयान कराया गया है, जबिक अनावेदक पक्ष से अनावेदक क्रमांक—2 दोषी वाहन के स्वामी ने अपना स्वयं का कथन कराया है, किंतु अनावेदक क्रमांक—1 दोषी वाहन के चालक व अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।
- 11. न्यायालयीन बयान में सभी आवेदकों ने बताया है कि तीनों आवेदक मोटरसायिकल से डौंडीलोहारा से काम करके वापस बालोद आ रहे थे तभी रेल्वे फाटक पाररास के सामने सुधीर भवन के पास सामने से आती हुई चार पिहया दोषी वाहन ने उन लोगों को ठोकर मार दिया, साक्षी धर्मेन्द्र के अनुसार वाहन लड़खड़ाते हुये, साक्षी सुरेश के अनुसार वाहन लहराते हुये तथा साक्षी सुमन कुमार के अनुसार वाहन तेजी एवं

लापरवाहीपूर्वक चल रही थी, ठोकर लगने से उन्हें चोटें आई थी । प्रति–परीक्षण में घटना के संबंध में उक्त साक्षियों का साक्ष्य अखंडित रहा है ।

- 12. मामले में आवेदक पक्ष ने पुलिस के चालानी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की हैं । दावा प्रकरणों में संलग्न अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 से जाहिर होता है कि इस दुर्घटना के लिये दोषी वाहन के चालक के रूप में अनावेदक क्रमांक—1 जितेन्द्र कोठारी को पुलिस व्दारा अभियोजित किया गया है । इस प्रकार पुलिस के चालानी दस्तावेजों से भी आवेदकगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि चालक जितेन्द्र कोठारी व्दारा दोषी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के फलस्वरूप दुर्घटना हुई थी ।
- अनावेदक पक्ष से दोषी वाहन के स्वामी अनुराग दुबे अना.क.-2 का कथन 13. कराया गया है, जिसने अपने कथन में बताया है कि दोषी वाहन उसके घरेलू एवं निजी उपयोग का वाहन है, जिसे वह स्वयं चलाता है कोई ड्रायव्हर नहीं रखा है, वाहन का आर. सी.बुक प्रदर्श डी-1 है । साक्षी का आगे यह भी कहना है कि उसके वाहन से कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है न ही उक्त वाहन के संबंध में कभी भी किसी थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज हुआ है, जितेन्द्र कोठारी कभी भी उसके गाड़ी का ड्रायव्हर नहीं था । उक्त साक्षी ने अपने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र.डी.–1 आर.सी.बुक में वाहन का कलर रेड मेटेलिक लिखा है. साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि थाना बालोद व्दारा उक्त गाड़ी से संबंधित दुर्घटना कारित की गई है तथा उक्त गाड़ी के दस्तावेज जप्त किये गये हैं इसके खिलाफ किसी उच्चाधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत नहीं किया कि उसके गाड़ी का झूठे अपराध में मामला पंजीबध्द किया गया । अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से इस संबंध में न्याय-दृष्टांत म.प्र.राज्य एवं अन्य बनाम रामचरन एवं अन्य, 2017 (4) ए.सी.सी.डी.-1734 (एम पी) की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसका लाभ अनावेदकगण को इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण नहीं मिलता है ।

- 14. दोषी वाहन का चालक न्यायालय में उपस्थित होकर स्वयं का साक्ष्य नहीं कराया है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता कि दुर्घटना दिनांक को वह दोषी वाहन का चालक नहीं रहा है, पुलिस चालान से संबंधित दस्तावेज लोक दस्तावेज हैं, जिसके अनुसार इस दुर्घटना के लिये दोषी वाहन के चालक के रूप में अनावेदक क्रमांक—1 जितेन्द्र कोठारी को पुलिस व्दारा अभियोजित किया गया है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । न्याय—दृष्टांत श्रीमती पवनबाई व अन्य विरुद्ध दलजीत कौर व अन्य, 2011 (1) ए.सी.सी.डी.—293 (म.प्र.) तथा दूसरे न्याय—दृष्टांत दिवाकर शुक्ला व अन्य विरुद्ध अशोक कुमार ठाकुर व अन्य, 2006 (11) दु.मु.प्र.—225 में अवधारित किया गया है कि यदि चालक ने स्वयं को साक्षी के रूप में उपस्थित नहीं किया है तो धारणा उसके विपरीत बनती है । इसी प्रकार न्याय—दृष्टांत भगवंत विरुद्ध श्रीमती रामप्यारी 1991 जे.एल.जे.—277 में अवधारित किया गया है कि यदि आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज की अंतर्वस्तुयें तथा मौखिक साक्ष्य अखंडित हैं तो उनके आधार पर दुर्घटना का तथ्य प्रमाणित माना जाना चाहिये ।
- 15. इस प्रकार जब चालक के रूप में अनावेदक जितेन्द्र स्वयं साक्षी के कटघरे तक नहीं आया है, जो यह बता सके कि वह दोषी वाहन का चालक नहीं रहा है और दोषी वाहन से दुर्घटना नहीं हुई है । तब आवेदक पक्ष के मौखिक बयान तथा पुलिस के चालानी प्रतिवेदन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि चालक जितेन्द्र कोठारी व्दारा दोषी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के फलस्वरूप दुर्घटना हुई थी । मोटरसायिकल चालक की योगदायी उपेक्षा प्रमाणित नहीं है । इस संबंध में आवेदक पक्ष की ओर से न्याय—दृष्टांत ओरिएंटल इं.कं.लि. वि. श्रीमती राजेश देवी व अन्य, 2017 (3) ए.सी. सी.डी.—1177 (इला) की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:— मोटरसायिकल पर 3 व्यक्ति सवार थे, जो यातायात नियमों का उल्लंघन हो सकता है—स्वयं अपने आप में यह स्थापित नहीं करता है कि मोटरसायिकल का उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से चालन किया जा रहा था ।

- 16. जहां तक चोट का प्रश्न है ? इस संबंध में दावा प्रकरण क्रमांक 1/17 के आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर ने अपने कथन में बताया है कि दुर्घटना से उसके दाहिने पैर के ध पुटना के पास चोट आई थी, 108 एम्बूलेंस से उन्हें जिला अस्पताल, बालोद लाये जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुये दुर्ग के गायत्री अस्पताल रिफर कर दिये, जहां ड्रेसिंग कर रोहिणीपुरम रायपुर में रिफर कर दिये, जहां वह 23 दिन तक भर्ती रहा, उसका ऑपरेशन कर पैर में रॉड लगाया गया, 4 माह पश्चात् पुनः ऑपरेशन किये, उसके जख्म में मवाद आ जाता था घाव ठीक नहीं हुआ था, 14 माह बाद उसका तीसरा ऑपरेशन हुआ मवाद आने के कारण प्लेट को निकाल दिया गया, उसके बाद पैर में प्लास्टर किया गया । आवेदक व्दारा प्रस्तुत डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 व गायत्री अस्पताल की पर्ची प्रदर्श पी—20 तथा डिस्चार्ज कार्ड प्रदर्श पी—27 से पाया जाता है कि आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर को दांये पैर में अस्थिभंग हुआ था, प्रदर्श पी—21 के गायत्री अस्पताल, रायपुर के चिकित्सा दस्तावेज से आवेदक का वहां पर ईलाज हुआ है ।
- 17. आ.सा.क.—2 डॉ. आर.आर.मंडलेश ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 29—9—2016 को उसने धर्मेन्द्र कुमार का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसके दाहिने पैर के कमर की हड्डी टूटी हुई थी, जिसका ऑपरेशन हो चुका था, जहां ऑपरेशन हुआ था वहां पर संक्रमण के लक्षण मौजूद थे, उसे 45 प्रतिशत स्थायी प्रकृति की विकलांगता थी, विकलांगता प्रमाण—पत्र प्रदर्श पी—74 है, वह 45 प्रतिशत स्थायी विकलांग हो जाने के कारण पूर्व की भांति कार्य करने में सक्षम नहीं है । उक्त साक्षी ने प्रति—परीक्षण में इस तथ्य को गलत होना बताया है कि धर्मेन्द्र कुमार के अपंगता के प्रतिशत में भविष्य में सुधार होने की संभावना है, उसने स्वतः कहा कि इस केस में अपंगता के प्रतिशत में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है । साक्षी के प्रति—परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे यह माना जा सके कि आवेदक के विकलांगता के प्रतिशत में किसी प्रकार की भविष्य में कोई कमी होगी और वह पूर्व की भांति अपना कार्य उसी क्षमता से कर सकेगा, जिस क्षमता से वह घटना के पूर्व करता रहा होगा । इस प्रकार आवेदक धर्मेन्द्र चंद्रकार को दुर्घटना के फलस्वरूप गंभीर उपहति कारित होना, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने

पैर में 45 प्रतिशत की स्थायी प्रकृति की विकलांगता होना प्रमाणित होता है । अतः दावा प्रकरण कमांक 1/17 में वादप्रश्न कमांक—1 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हॉ, आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर को दाहिने पैर में 45 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता आई" में दिया जाता है ।

- 18. दावा प्रकरण कमांक 2/17 के आवेदक सुरेश चंद्राकर ने अपने कथन में बताया है कि दुर्घटना से उसके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई, धमतरी रामेश्वरम अस्पताल में उसके दाहिने पैर का ऑपरेशन कर रॉड लगाया गया, वह एक सप्ताह तक भर्ती था, उसने मेडिकल बोर्ड, बालोद से स्थायी अपंगता प्रमाण—पत्र प्राप्त किया है । साक्षी ने अपने पक्ष समर्थन में किसी चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया है । उसकी ओर से प्रस्तुत डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 के अनुसार उसके दाहिने पैर में अस्थि की चोट रही है, जिसके एक्स—रे की सलाह दी गई थी, परंतु उसकी ओर से एक्स—रे रिपोर्ट या ईलाज अथवा दवाईयों से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं है, मात्र एक्स—रे प्लेट और जिला मेडिकल बोर्ड, बालोद का अपंगता प्रमाण—पत्र पेश किया गया है, जिसकी पुष्टि में किसी चिकित्सक का साक्ष्य नहीं कराया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदक को साधारण उपहित कारित होना प्रमाणित पाया जाता है । अतः दावा प्रकरण कमांक 2/17 के लिये वादप्रश्न कमांक—1 का निष्कर्ष सकारात्मक रूप से "हॉ, साधारण उपहित कारित हुई" में दिया जाता है ।
- 19. दावा प्रकरण क्रमांक 3/17 में आवेदक सुमन साहू ने अपने कथन में बताया है कि दुर्घटना से उसके दाहिने घुटने की हड्डी टूट गई, जिसका अस्पताल गायत्री अस्पताल, दुर्ग एवं रायपुर में किया गया, उसके दाहिने पैर का ऑपरेशन कर प्लेट लगाया गया, सिर की चोट में 14 टांका लगाया गया, उसकी चोट बाबत् डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—4, गायत्री अस्पताल, रायपुर का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी—5 तथा गायत्री अस्पताल, दुर्ग के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी—7 से पाया जाता है कि उसके दाहिने पैर के टीबिया—फिब्यूला हड्डी में कंपाउंट फैक्चर का ईलाज किया गया है, जिसे गंभीर प्रकृति की

चोट की श्रेणी में माना जाता है । अतः उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक को गंभीर चोट आना प्रमाणित पाया जाता है । अतः दावा प्रकरण क्रमांक 3/17 में वादप्रश्न क्रमांक—1 का निष्कर्ष "हाँ, गंभीर उपहति कारित हुई" के रूप में दिया जाता है । तीनों दावा प्रकरणों के लिये वादप्रश्न क्रमांक—3 का निष्कर्ष "नहीं" में दिया जाता है तथा वादप्रश्न क्रमांक—6 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

अतिरिक्त वादप्रश्न क.—2 :— (सभी दावा प्रकरणों के लिए)

दावा आवेदन क्रमांक-1/17, 2/17 तथा 3/17 के आवेदको ने क्रमशः अपनी उम्र दावा आवेदन में 28 वर्ष, 34 वर्ष व 27 होना बताये हैं । वहीं दावा आवेदन कमांक 1/17 के आवेदक धर्मेन्द्र तथा 3/17 के आवेदक सुमन साहू ने स्वयं को हरिओम वेल्डिंग में वेल्डर का कार्य कर 300 / – रूपये प्रतिदिन आय अर्जित करना तथा दावा आवेदन क्रमांक-2/17 के आवेदक सुरेश चंद्राकर ने ठेला में फुटकर व्यापार कर प्रतिदिन 250-300 / - रूपये आय अर्जित करना बताये हैं, आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर तथा सुमन साहू की ओर से प्रदर्श पी-75 एवं पी-36 का वेतन प्रमाण-पेश किया गया है, किंतू उक्त प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले संबंधित वर्कशॉप के प्रोप्राइटर का कथन न्यायालय में कराकर प्रमाणित नहीं कराया गया है । आवेदक सुरेश चंद्राकर की ओर से प्रकरण में अपने कार्य व आय के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं है । ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा– 05 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जो अधिसूचना जारी की जाती है उसके अनुसार छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के द्वारा दिनांक-01.05.2017 को अधिसूचना क्रमांक-एफ 10-4/2016/16 जारी किया गया है, जिसमें अकुशल श्रमिक की प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 320/-रूपये निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार कम से कम 250/-रूपये प्रतिदिन का आय होना माना जा सकता है। इस प्रकार महीने में अवकाश की अवधि को निकालने के पश्चात् कुल 26 कार्य दिवस में कार्य करने पर, अर्थात 250 x 26=6,500 / – रूपये होता है । अतः न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 06,500 / – रूपये होता है । चूंकि आवेदकगण के कार्य व आय के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, ऐसी दशा में प्रत्येक आवेदक की मासिक आय 6,500 / – रूपये

आंका जाता है । अतः वादप्रश्न कमांक-2 का निष्कर्ष उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

वादप्रश्न क.-4:- (सभी दावा प्रकरणों के लिए)

21. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर रहा है कि दुध् दिना तिथि को दोषी वाहन उसके पास बीमित नहीं थी, परंतु उनकी ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश कर प्रमाणित नहीं किया गया है कि दोषी वाहन घटना दिनांक को उनकी कंपनी में बीमित नहीं थी, वहीं प्रकरण में अनावेदक क्रमांक— 1 एवं 2 की ओर से सूची अनुसार दोषी वाहन के आर.सी.बुक एवं बीमा पॉलिसी की फोटो प्रति पेश है, जिसके अनुसार दोषी वाहन अनावेदक क्रमांक—2 अनुराग दुबे के नाम पर पंजीकृत होकर अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी के पास दिनांक 13—4—2015 से 12—4—2016 तक के लिये बीमित होना परिलक्षित होता है । अतः वादप्रश्न क्रमांक—4 का निष्कर्ष "हाँ" में दिया जाता है ।

वादप्रश्न क.—5 :— (सभी दावा प्रकरणों के लिए)

22. बीमा की शर्तों के उल्लंघन का बचाव अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी व्दारा लिया गया है । इसलिये सबूत भार भी बीमा कंपनी पर रहा है, जिसके निर्वहन में अनावेदक कमांक—3 बीमा कंपनी किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है, आवेदक पक्ष व्दारा प्रस्तुत चालानी दस्तावेजों में जप्ती प्रदर्श पी— 3 दोषी वाहन, चालक का झ्रायव्हिंग लायसेंस, आर.सी.बुक तथा बीमा पॉलिसी वाहन स्वामी अनुराग दुबे से जप्त किया गया था। मामले में न सिर्फ चालक जितेन्द्र कोठारी के झ्रायव्हिंग लायसेंस की छायाप्रति पेश है, बिल्क वाहन के पंजीयन प्रमाण—पत्र, बीमा पत्र की भी छायाप्रति अनावेदक कमांक —1 एवं 2 व्दारा संलग्न की गई है । उन्हें अवैध या अप्रभावशील दर्शाने वास्ते बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं है । इसलिये यह प्रमाणित नहीं पाया जाता कि दोषी वाहन के चालन में बीमा के किसी शर्त का भंग किया गया हो । इसलिये वादप्रश्न कमांक—5 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" में दिया जाता है ।

वादप्रश्न क.-7 :- (दावा प्र0क्0−1 / 2017 के लिए)

मामले में आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर ने अपनी विकलांगता बाबत प्रमाण-पत्र 23. प्रदर्श पी-74 पेश किया है, उसे दाहिने पैर में 45 प्रतिशत की स्थायी विकलांगता होना प्रमाणित है अर्थात् उसकी पारिणामिक स्थायी अयोग्यता 22 प्रतिशत माना जाकर अर्जन क्षमता में कमी 11 प्रतिशत माना जा सकता है । उसकी आय प्रतिमाह 6,500/- रूपये निर्धारित की गई है ऐसी स्थिति में वार्षिक आय 6,500 x 12 बराबर 78,000 / - रूपये का 11 प्रतिशत 8,580 होता है । आवेदक की उम्र 28 वर्ष निर्धारित किया गया है, ऐसी स्थिति में 17 का गुणांक प्रयोज्य किये जाने पर 8,580 x 17 बराकर 1,45,860/- आवेदक को भविष्य की आय में क्षति होगी, जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है । उसे दांये पैर के फीमर में अस्थिभंग पाया गया है और उसमें ऑपरेशन कर रॉड लगाया जाना भी बताया है, जिसकी पुष्टि गायत्री अस्पताल, रायपुर के दस्तावेजों से होती है तथा यह भी पाया जाता है कि वह अस्पताल में दिनांक 3-7-2015 से 13-7-2015, 25-8-2015 से 2-9-2015 तक भर्ती रहकर ईलाज भी कराया है । खर्च के विषय में उसने अस्पताल की रसीद प्रदर्श पी-6 से 19, 28 से 67, 77 तक पेश किया है, जो कुल 1,05,755 /- रूपये का है, जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है, चूंकि उसके पैर में रॉड लगा है इसलिये अस्थिमंग की स्थिति को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि गंभीर चोट के फलस्वरूप शारीरिक व मानसिक पीड़ा भी सहा है तथा लगभग 6 माह तक वह अपने उस कार्य से भी वंचित रहा. जिससे आय अर्जित करता था, यदि रॉड निकालने की जरूरत पडती है तो खर्च संभावित है तथा उसे कार्य में भी अस्विधा रहेगी । अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पौष्टिक आहार के साथ-साथ परिजनों व्दारा देखरेख करने में व परिवहन में भी खर्च संभावित होता है. पौष्टिक आहार एवं सहायक व्यय के मद में 15,000 / - रूपये स्वीकृत किया जाता है । परिवहन के संबंध में आवेदक की ओर से प्रदर्श पी-80 से 111 तक का बिल पेश किया गया है, जो 48,000 / – रूपये का है, किंतु उक्त बिल को जारी करने वाले का साक्ष्य कराकर उसे प्रमाणित नहीं किया गया है, परंतु उसे आई चोट की प्रकृति को देखते हुये

उसका समय—समय अस्पताल जाकर ईलाज कराये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थित में परिवहन व्यय के मद में 48,000 / — रूपये स्वीकार किया जाता है। अतः चोट की प्रकृति, अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि, ईलाज खर्च और भविष्य में संभावित ईलाज खर्च तथा होने वाली असुविधा को दृष्टिगत् रखते हुये आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर के लिये विभिन्न मदों में प्रतिकर राशि की गणना निम्नानुसार किया जाता है, जो वह प्राप्त करने का हकदार है :—

कमांक	मद	राशि
1.	ईलाज खर्च	1,05,755
2.	ईलाज के दौरान पौष्टिक आहार, परिवहन, देख—रेख में खर्च	63,000
3.	ईलाज के दौरान आय की हानि	39,000
4.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिये	10,000
5.	भविष्य की परेशानी तथा संभावित ईलाज खर्च	25,000
6.	स्थायी अपंगता के कारण भविष्य के आय की हानि	1,45,860
	कुल प्रतिकर राशि	3,88,615 रूपये

वादप्रश्न क.—7 :— (दावा प्र0क0—2 / 2017 के लिए)

24. आवेदक सुरेश कुमार चंद्राकर उपर की विवेचना में साधारण चोट आना प्रमाणित हुआ है । उसकी ओर से मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 के अलावा ईलाज अथवा ईलाज में हुये खर्च से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं है, मात्र एक्स—रे प्लेट पेश है । विकलांगता प्रमाण पत्र चिकित्सक व्दारा प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में उपहित के फलस्वरूप उसे भी शारीरिक व मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ी है और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पौष्टिक आहार के साथ—साथ परिजनों व्दारा देखरेख करने में व परिवहन में भी खर्च संभावित होता है, लगभग एक माह तक उसे आय की हानि भी हुई होगी । अत : चोट की प्रकृति तथा होने वाली असुविधा को दृष्टिगत् रखते हुये उसके बाबत् विभिन्न मदों में प्रतिकर राशि की गणना निम्नानुसार किया जाता है, जो वह प्राप्त करने का हकदार

कमांक	मद	राशि
1.	ईलाज खर्च	3,000
2.	ईलाज के दौरान पौष्टिक आहार, परिवहन, देख—रेख में खर्च	5,000
3.	ईलाज के दौरान आय की हानि	6,500
4.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिये	5,000
	कुल प्रतिकर राशि	19,500 रूपये

वादप्रश्न क.-7 :- (दावा प्र0क्0−3 / 2017 के लिए)

25. इस मामले में आवेदक सुमन साहू को उपर की विवेचना में गंभीर चोट आना प्रमाणित हुआ है । गायत्री अस्पताल, रायपुर के डिस्चार्ज टिकट के अनुसार वह दिनांक 4—7—2015 से 13—7—2015 तक, पश्चात् में गायत्री अस्पताल, दुर्ग में 19—9—2015 से 1—10—2015 तक भर्ती रहकर ईलाज कराया है तथा ईलाज तथा दवाईयों से संबंधित बिल कमशः प्रदर्श पी—11, 13 से 35 तक रूपये 65,105/— रूपये का पेश किया है, जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी है । उसके पैर में प्लेट लगा हुआ है, जिसे रकम के अभाव में नहीं निकलवाना बताया है, चोट आने और ईलाजरत रहने से उसे लगभग 6 माह के आय की हानि भी हुई है, यदि प्लेट निकालने की जरूरत पड़ती है तो खर्च संभावित है तथा उसे कार्य में भी असुविधा रहेगी । अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पौष्टिक आहार के साथ—साथ परिजनों व्दारा देखरेख करने में व परिवहन में भी खर्च संभावित होता है । अतः चोट की प्रकृति, अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि, ईलाज खर्च और भविष्य में संभावित ईलाज खर्च तथा होने वाली असुविधा को दृष्टिगत् रखते हुये आवेदक सुमन कुमार के बाबत् विभिन्न मदों में प्रतिकर राशि की गणना निम्नानुसार किया जाता है, जो वह प्राप्त करने का हकदार है :—

कमांक	मद	राशि
1.	ईलाज खर्च	65,105
2.	ईलाज के दौरान पौष्टिक आहार, परिवहन, देख–रेख में	15,000
	खर्च	
3.	ईलाज के दौरान 6 माह के आय की हानि	39,000
4.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिये	10,000
5.	भविष्य की परेशानी तथा संभावित ईलाज खर्च	25,000
	कुल प्रतिकर राशि	1,54,105 रूपये

26. अनावेदकगण वाहन के क्रमशः चालक, पंजीकृत स्वामी और बीमाकर्ता हैं, चूंकि बीमा की शर्तों का भंग होना प्रमाणित नहीं हुआ है । इसलिये अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी प्रतिकर अदायगी के के लिये उत्तरदायी है । सभी दावा प्रकरणों में निर्धारित की गयी प्रतिकर राशि के लिए अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः उत्तरदायी पाये जाते हैं, घटना दिनांक को वाहन बीमित होने से प्रतिकर भुगतान का प्राथमिक दायित्व बीमा कंपनी पर है ।

वादप्रश्न क.—8:— (सभी दावा प्रकरणों के लिए)

- 27. उपरोक्त विवेचना पर से यह अधिकरण पाती है कि आवेदकगण अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहे हैं । अतः आवेदकगण का दावा अंशतः स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि :--
 - अ. अनावेदकगण संयुक्ततः एवं पृथकतः दावा प्रकरण क्रमांक 1/17 में आवेदक धर्मेन्द्र चंद्राकर को कुल प्रतिकर राशि 3,88,615 /—रूपये (अक्षरी तीन लाख अठयासी हजार छः सौ पंद्रह रूपये), दावा प्रकरण क्रमांक— 2/2017 में आवेदक सुरेश चंद्राकर को कुल प्रतिकर राशि 19,500/—रूपये(अक्षरी उन्नीस हजार पांच सौ रूपये), दावा प्रकरण क0—3/2017 में आवेदक सुमन कुमार को कुल प्रतिकर राशि

1,54,105 / — (अक्षरी एक लाख चौवन हजार एक सौ पांच रूपये) अदा करेंगे, जिस पर दावा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से संपूर्ण अदायगी तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा । शेष दावा खारिज किया जाता है ।

- ब. अनावेदकगण स्वयं का तथा आवेदकगण का भी वाद व्यय वहन करेंगें।
- स. प्रतिकर राशि जमा होने पर क्लेम प्रकरण क्रमांक 1/17 एवं 3/17 के आवेदक धर्मेन्द्र तथा सुमन साहू को आधी—आधी राशि का एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नगद भुगतान कर दिया जाये तथा आधी—आधी राशि उनके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिये जमा हो, जो बीच में अधिकरण की अनुमति के बिना देय नहीं होगा, अवधि समाप्ति पर वे उक्त राशि सीधे बैंक से प्राप्त कर सकेंगे तथा क्लेम प्र. क.—2/17 के आवेदक सुरेश कुमार को प्राप्त होने वाली राशि उसे एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से नगद भुगतान कर दिया जाये।
- द. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगा।

''तद्नुसार व्यय तालिका तैयार किया जावे"

अधिनिर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर पारित किया गया। मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

स्थान—बालोद, दिनांक—31.7.2018. सही / – (विजय कुमार मिंज) प्रथम अ0मो0दु0दावा अधिकरण, बालोद.